

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर


क्रमांक /स्था.-1/2020

दिनांक /07/2020

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-23-13/2013/पैतीस, भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2014 के अधीन कार्यरत शिक्षकों की सेवा निवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है। विश्वविद्यालय सेवानिवृत्ति अधिसूचना क्रमांक 108/स्था.-1/03/2019, दिनांक 10/01/2019 के अनुसार डॉ. जी.पी. अग्रवाल, सह प्राध्यापक, पशु विस्तार विभाग, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 31.07.2020 को अपनी अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें विश्वविद्यालय सेवाओं से दिनांक 31.07.2020 (अपरान्ह) सेवानिवृत्त किया जाता है।

कुलपति जी के आदेशानुसार


(डॉ. विनोद कुमार वाजपेयी)


कुलसचिव

दिनांक 20/07/2020

पृ. क्रमांक 1442/स्था.-1/2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. निज सचिव, कुलसचिव, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
4. समस्त संचालक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
7. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा।
8. नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
9. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. कार्यपालन यंत्री, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
11. शाखा प्रभारी, गोपनीय चरित्रावली/भविष्य निधि/पेंशन, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
12. डॉ. जी.पी. अग्रवाल, सह प्राध्यापक, पशु विस्तार विभाग, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
13. व्यक्तिगत नस्ती


कुलसचिव